

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मिलख सिंह पुत्र फोजा सिंह जाति रायसिख निवासी 4 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री फोजा सिंह पुत्र पठाना सिंह जाति रायसिख निवासी 4 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.01.2016 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 17.11.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 04.01.2016 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान ओम प्रकाश पुत्र किशना राम एवं अर्जुन कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

16/9/16

16/9/16

16/9/16